

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, I.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 207/18 (वाद)

1. श्रीमती नवला कुंवर पत्नी चतरसिंह राजपूत निवासी वांगटो का खेडी (रठाना) तह. मावली।

.....वादीयां

बनाम्

1. श्री शम्भुसिंह पिता स्वरूपसिंह राजपूत निवासी डोडीया का खेडा मजरा, रठाना तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

- उपस्थित—1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता वादीयां।
2. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता प्रतिवादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक 31.01.2020

1. वादीयां द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रठाना पटवार हल्का रठाना की आराजी नम्बर 382 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हैं।
2. वाद में वर्णित आराजीयात के पूर्व में खातेदार शम्भुसिंह पिता स्वरूपसिंह व मु. धुलबाई पत्नी स्वरूपसिंह थे जिन्होंने दिनांक 03.10.2008 को वाद में वर्णित आराजी नम्बर 382 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि में से 3 बीघा भूमि वादीयां को विक्रय कर विक्रय पत्र का पंजीयन दिनांक 03.10.2008 को ही करवा दिया तथा उक्त आराजीयात का कब्जा भी वादीयां को सिपूद कर दिया तब से वादीयां उक्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है लेकिन वादीयां एक अनपढ ग्रामीण परिवेश की महिला है तथा वादीयां के पक्ष में किए गए विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का से नामान्तरकरण की कार्यवाही करवाने की जानकारी वादीयां को नहीं होने से वादीयां ने उक्त आराजीयात के विक्रय पत्र का पंजीयन होने के बाद विक्रय पत्र अपने घर ले जाकर रख दिया जिससे उक्त आराजीयात का विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही

Ashay

नहीं हुई। जिससे उक्त आराजीयात शम्भुसिंह व धुलबाई के नाम ही दर्ज रह गई जिससे धुलबाई ने अपनी अन्य आराजीयात में अपने हिस्से का हकत्याग पत्र अपने पुत्र शम्भुसिंह के पक्ष में किया जिसमें आराजी नम्बर 382 का रकबा 3 बीघा भी जरिये हकत्याग पत्र से शम्भुसिंह के नाम दर्ज हो गया जो वादीयां के मुकाबले बैअसर व शून्य है क्योंकि उक्त 3 बीघा भूमि का उपयोग उपभोग आज भी वादीयां ही करती चली आ रही है तथा विक्रय पत्र दिनांक 3.10.2008 के आधार पर वादीयां को उक्त आराजीयात के 3 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना आवश्यक हो गया है। इसलिए घोषणा का यह वाद आप न्यायालय में पेश हैं।

3. यह कि वाद में वर्णित आराजीयात के 3 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना आवश्यक है क्योंकि वर्तमान में उक्त आराजीयात प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज होने से प्रतिवादी सं. 1 उक्त आराजीयात को अन्य किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय हस्तान्तरण कर वादीयां को उक्त आराजीयात से बेदखल कर देगा जिससे वादीयां को भारी नुकसान व क्षति होगी इसलिए प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराना भी आवश्यक हो गया है कि वाद में वर्णित आराजीयात के 3 बीघा भूमि को प्रतिवादी सं. 1 किसी अन्य को रहन, बैह, बक्षीस नहीं करे, न विक्रय हस्तान्तरण करे, न वादीयां को उक्त 3 बीघा भूमि से बेदखल ही करे, वादीयां को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, वादीयां को फसल बोने व फसल लेने में कोई रूकावट पैदा नहीं करे, उक्त कार्य न तो प्रतिवादी स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से करावें। मौके व रिकार्ड की यथावत् स्थिति बनाए रखें।
4. यह कि वाद कारण दिनांक 01.10.2018 को उत्पन्न हुआ जब वादीयां पटवारी हल्का को विक्रय पत्र दिनांक 03.10.2008 के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही करने हेतु कहा तो पटवारी हल्का ने कहा कि उक्त विक्रय पत्र पुराना हो गया है अब नामान्तरण की कार्यवाही नहीं हो सकती है सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करा अपने नाम दर्ज करावे तो वादीयां ने प्रतिवादी से उक्त आराजीयात अपने नाम दर्ज कराने हेतु कहा तो प्रतिवादी ने मना कर दिया तब पैदा हुआ व पैदा होकर निरन्तर जारी हैं।
5. अतः प्रार्थना है कि वादीयां के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद में वर्णित आराजी नम्बर 382 रकबा 3 बीघा

ambay

- 9 बिस्वा भूमि में से 3 बीघा भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 03.10.2008 के आधार पर वादीयां को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे व राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी सं. 1 का नाम हटाया जावे। उक्त वर्णित आराजीयात में से 3 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 1 किसी अन्य को रहन, बैह, बक्षीस नहीं करे, न विक्रय हस्तान्तरण करे, न वादीयां को उक्त 3 बीघा भूमि से बेदखल ही करे, वादीयां को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे वादीयां को फसल बोने व फसल लेने में कोई रुकावट पैदा नहीं करे, उक्त कार्य न तो प्रतिवादी स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से करावे। मौके व रिकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें।
6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रठाना पटवार हल्का नूरडा के आराजी नम्बर 382 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि में से 3 बीघा भूमि मुझ प्रतिवादी ने दिनांक 03.10.2008 को वादीयां को विक्रय कर कब्जा सिपूद कर दिया तब से वादीयां उक्त आराजीयात का उपयोग उपभोग करती चली आ रही है तथा उक्त भूमि वादीयां के नाम दर्ज की जाती है तो मुझे प्रतिवादी को कोई उजर एतराज नहीं हैं। मैं प्रतिवादी उक्त आराजीयात को किसी अन्य को विक्रय हस्तान्तरण नहीं कर रहा हूँ तथा वाद में वर्णित आराजीयात में से 3 बीघा भूमि वादीयां के नाम दर्ज होती है तो मुझे कोई एतराज नहीं हैं। अतः प्रार्थना है कि वादीयां का वाद स्वीकार फरमाया जावे तो मुझे प्रतिवादी को कोई उजर एतराज नहीं है। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।
7. वादीयां द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्रीमती नवलाकुंवर का पेश किया। वादीयां द्वारा दस्तावेज नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1, विक्रय पत्र की नकल प्रदर्श 2ए पेश की।
8. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीयां द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादीयां का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं वादीयां का वाद स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नही की।
9. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस पर बगौर मनन किया। वादग्रस्त भूमि


alway

वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हैं जो दस्तावेज प्रदर्श 1 से स्पष्ट है। वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी सं. 1 शम्भुसिंह एवं धुलबाई द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श 2ए दिनांक 03.10.2008 से वादीयां को विक्रय कर कब्जा सिपूद कर दिया है। वादग्रस्त भूमि में वादीयां को 3 बीघा भूमि का विक्रय प्रतिवादी सं. 1 व धुलबाई द्वारा किया गया है। चूंकि भूमि वादीयां के नाम दर्ज नहीं हुई है। प्रतिवादी द्वारा भी उक्त विक्रय को स्वीकार किया है तथा वादीयां के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर 3 बीघा भूमि वादीयां के नाम दर्ज किया जाने पर सहमति जाहिर की है। चूंकि वादीयां सद्भावी क्रेता होकर पूर्ण प्रतिफल अदा कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि को क्रय की है। अतः वादीयां रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूमि अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारीणी हैं। अतः वादीयां का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा रटाना पटवार हल्का नूरडा की आराजी नम्बर 382 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि में से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.10.2008 के आधार पर वादीयां को 3 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।


(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

(आ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती नवला कुंवर पत्नी चतरसिंह राजपूत निवासी वांगटो का खेडी (रठाना) तह. मावली।

.....वादीयां

बनाम्

1. श्री शम्भुसिंह पिता स्वरूपसिंह राजपूत निवासी डोडीया का खेडा मजरा, रठाना तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम मुकदमा न0 : 207 / 18 (वाद)

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु अक्षय गोदारा, I.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:-

वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा रठाना पटवार हल्का नूरडा की आराजी नम्बर 382 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि में से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.10.2008 के आधार पर वादीयां को 3 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.01.2020 को जारी की गई।

Akhay
(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली